

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/लैब.टै./एफ-29445/2025/15

दिनांक : 09/01/2025

आदेश

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के अनुसारण में दोषमुक्ति के मामलों में, पूर्ववृत्त (Antecedents) आरोपों की गहनता एवं दोषमुक्ति का आधार, अर्थात् क्या दोषमुक्ति सम्मानजनक रूप से प्रदान की गई है अथवा संदेह के लाभ /समझौते के आधार पर प्रदान की गई है, आदि का समुचित परीक्षण कर, अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने के संबंध में लैब टैक्नीशियन /सहायक रेडियोग्राफर/एएनएम भर्ती-2023 में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन/दोषमुक्ति के संबंध में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 09.01.2025 को दोपहर 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आहूत की जावेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित होने का श्रम करें:-

- 1 अति० पुलिस अधीक्षक, पीसीपीएनडीटी, मुख्यालय -सदस्य
- 2 उप विधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर -सदस्य
- 3 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय -सदस्य

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/लैब.टै./एफ-29445/2025/15

दिनांक : 09/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. अति० पुलिस अधीक्षक, पीसीपीएनडीटी, निदेशालय, मुख्यालय।
4. निजी सहायक, निदेशक (अराजपत्रित), मुख्यालय।
5. उप विधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :09-01-2025 12:00:13